

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)...जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2016-17: -

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
- (ii) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

| मंत्रालय/विभाग का नाम | सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है | क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि | वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे | स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे | क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं | सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे | अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे |
|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|------------------------|
| Name of the Ministry/ Department | Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee | Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year | Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund | Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund | Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements | Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any | Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees | Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government | Other material details |
| | (क) (a) | | (ख) (b) | | (ग) (c) | (घ) (d) | (ङ) (e) | (च) (f) | (छ) (g) |

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|-------|
| कृषि मंत्रालय – कृषि और सहकारिता विभाग | # | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | हाँ | एमपीएस अनुभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का सहकारिता प्रभाग, नई दिल्ली | शून्य |
| MINISTRY OF AGRICULTURE- Department of Agriculture and Co-operation | # | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Yes | MPS Section, Cooperation Division of DAC, and Farmers Welfare New Delhi | Nil |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---|-------|-----------|
| वित्त मंत्रालय – आर्थिक कार्य विभाग | # | हाँ 2929.96 | नहीं | 3429.96 | 16756.62 | लागू नहीं | हाँ | श्री प्रशांत गोयल संयुक्त सचिव(बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग | — | 65 |
| MINISTRY OF FINANCE- Department of Economic Affairs | # | Yes 2929.96 | No | 3429.96 | 16756.62 | NA | Yes | Sh. Prashant Goyal, JS (Budget), Budget Division, DEA | — | |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | # | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | हाँ | अवर सचिव (एफसीआई), कृषि भवन, नई दिल्ली | — | |
| MINISTRY OF CONSUMER, AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION | # | No | NA | NA | NA | No | Yes | US (FCI), Krishi Bhawan, | — | |
| उद्योग मंत्रालय – भारी उद्योग विभाग | # | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | हाँ | भुगतान एवं लेखा कार्यालय (डी एच आई) | शून्य | |
| MINISTRY OF INDUSTRY - Department of Heavy Industries | # | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Yes | PAO (DHI) | Nil | |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग | # | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | हाँ | केवीआईसी (एमएसएमई) | शून्य | |
| MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Khadi & Village Industries Commission (KVIC) | # | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Yes | KVIC MSME | Nil | |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय— रसायन और पेट्रोसायन विभाग | # | नहीं | शून्य | — | — | — | हाँ | निदेशक (पीएसयू) | शून्य | |
| MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS- Department of Chemicals and Petrochemicals | # | No | Nil | — | — | — | Yes | Dir (PSU) | Nil | |

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा गारंटियों के मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)...जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2016-17: -

| मंत्रालय/विभाग का नाम | सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है | क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि | वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे | स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे | क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं | सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे | अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे |
|---|--|--|---|---|--|--|--|---|------------------------|
| Name of the Ministry/ Department | Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee | Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year | Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund | Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund | Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements | Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any | Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees | Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government | Other material details |
| | (क) (a) | | (ख) (b) | | (ग) (c) | (घ) (d) | (ङ) (e) | (च) (f) | (छ) (g) |
| औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals | # # | नहीं No | शून्य Nil | शून्य Nil | शून्य Nil | शून्य Nil | हाँ Yes | निदेशक (पीएसयू) Dir (PSU) | — — |

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----|--|--------------|
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS – रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals | # | नहीं | शून्य | — | — | — | हाँ | निदेशक (रसा. I) | — |
| विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER | # | शून्य | नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | हाँ | विद्युत मंत्रालय | शून्य |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | # | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | हाँ | हाँ | अवर सचिव (एफसीआई) एवं अवर सचिव (सीडब्ल्यूसी) | — |
| रेल मंत्रालय | # | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | हाँ | (बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि) उप निदेशक मैकेनिकल (डब्ल्यू) रेलवे बोर्ड | लागू नहीं |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग | # | विभाग द्वारा ऐसी कोई निधि नहीं बनाई गई है | | | प्रश्न नहीं उठता | प्रश्न नहीं उठता | हाँ | उप महानिदेशक (एसयू) के अधीन कारखाना अनुभाग, दूरसंचार विभाग, संचार भवन | — |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS – रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals | # | No | Nil | — | — | — | Yes | Dir (CH-I) | — |
| विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER | # | शून्य | नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | हाँ | विद्युत मंत्रालय | शून्य |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | # | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | हाँ | हाँ | अवर सचिव (एफसीआई) एवं अवर सचिव (सीडब्ल्यूसी) | — |
| MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION | # | No | NA | NA | NA | Yes | Yes | US (FCI) and US (CWC) | — |
| रेल मंत्रालय | # | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | हाँ | (बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि) उप निदेशक मैकेनिकल (डब्ल्यू) रेलवे बोर्ड | लागू नहीं |
| MINISTRY OF RAILWAYS | # | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | (Burn Standard Co. Ltd.) Dy. Director Mech. (W) Railway Board | NA |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग | # | विभाग द्वारा ऐसी कोई निधि नहीं बनाई गई है | | | प्रश्न नहीं उठता | प्रश्न नहीं उठता | हाँ | उप महानिदेशक (एसयू) के अधीन कारखाना अनुभाग, दूरसंचार विभाग, संचार भवन | — |
| MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY Department of Telecommunications | # | No | such fund created by the Deptt | | Does not arise | Does not arise | Yes | Factory Section under Dy. Dir. General (SU), DoT, Sanchar Bhawan | — |

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।

Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)...जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2016-17: -

| मंत्रालय/विभाग का नाम | सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है | क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि | वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे | स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे | क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं | सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे | अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे |
|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|------------------------|
| Name of the Ministry/ Department | Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee | Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year | Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund | Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund | Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements | Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any | Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees | Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government | Other material details |
| | (क) (a) | | (ख) (b) | | (ग) (c) | (घ) (d) | (ङ) (e) | (च) (f) | (छ) (g) |

(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ के लिए किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जा आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:—

(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|---|---|
| नागर विमानन मंत्रालय | # | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 24623.72 | लागू नहीं | हाँ | वित्त-I अनुभाग, राजीव गांधी भवन, नागर विमानन मंत्रालय | — |
| MINISTRY OF CIVIL AVIATION | # | No | NA | NA | 24623.72 | NA | Yes | Finance-I Section, Rajiv Gandhi Bhawan, M/o Civil Aviation | — |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------|---------|-----------|-----------|-----|--|-------|-----------|
| कोयला मंत्रालय | # | शून्य | शून्य | शून्य | 623.30 | शून्य | हाँ | निदेशक (वित्त) कोयला मंत्रालय | — | 69 |
| MINISTRY OF COAL | # | Nil | Nil | Nil | 623.30 | Nil | Yes | Director (Finance) M/o Coal | — | |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | # | शून्य | शून्य | शून्य | 655.51 | शून्य | हाँ | महानिदेशक (सड़क परिवहन और राजमार्ग), नई दिल्ली | शून्य | |
| MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS | # | Nil | Nil | Nil | 655.51 | Nil | Yes | DG (RTH), New Delhi | Nil | |
| विद्युत मंत्रालय | # | शून्य | नहीं | शून्य | 31187.70 | शून्य | हाँ | विद्युत मंत्रालय | — | |
| MINISTRY OF POWER | # | Nil | No | Nil | 31187.70 | Nil | Yes | Ministry of Power | — | |
| वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग | # | हाँ 2929.96 | नहीं | 3429.96 | 149253.20 | लागू नहीं | हाँ | श्री प्रशान्त गोयल संयुक्त सचिव(बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग | — | |
| MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs | # | Yes 2929.96 | No | 3429.96 | 149253.20 | NA | Yes | Sh. Prashant Goyal, JS (Budget), Budget Division, DEA | — | |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | # | शून्य | शून्य | शून्य | 51.75 | शून्य | हाँ | एसएसआई (पी)-I एमएसएमई | शून्य | |
| MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES | # | Nil | Nil | Nil | 51.75 | Nil | Yes | SSI(P) - I MSME | Nil | |
| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | # | नहीं | नहीं | नहीं | 7018.49 | नहीं | हाँ | डा. पंकज सक्सेना वैज्ञानिक 'च' एमएनआरई, लोदी रोड, नई दिल्ली-03 | — | |
| MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY | # | No | No | No | 7018.49 | No | Yes | Dr. Pankaj Saxena Scientist 'F', MNRE, Lodi Road, New Delhi-03 | — | |

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)...जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2016-17: -

| मंत्रालय/विभाग का नाम | सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है | क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि | वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे | स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे | क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं | सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे | अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे |
|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|------------------------|
| Name of the Ministry/ Department | Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee | Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year | Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund | Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund | Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements | Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any | Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees | Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government | Other material details |
| | (क) (a) | | (ख) (b) | | (ग) (c) | (घ) (d) | (ङ) (e) | (च) (f) | (छ) (g) |
| इस्पात मंत्रालय | # | शून्य | शून्य | शून्य | 363.34 | नहीं | हाँ | मंत्रालय में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रम का परियोजना अनुभाग | — |
| MINISTRY OF STEEL | # | Nil | Nil | Nil | 363.34 | No | Yes | Project Section of the concerned PSU in the Ministry | — |

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----------|----------|-----------|-----|--|---|----|
| आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय | # | शून्य | नहीं | — | 422.62 | लागू नहीं | हाँ | एच1 अनुभाग आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय | — | 71 |
| MINISTRY OF HUPA | # | Nil | No | — | 422.62 | NA | Yes | H1 Section, M/o HUPA | — | |
| वाणिज्य विभाग | # | लागू नहीं | शून्य | शून्य | 0.83 | नहीं | हाँ | संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग | — | |
| Department of Commerce | # | NA | Nil | Nil | 0.83 | No | Yes | JS D/o Commerce | — | |
| शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT | # | शून्य | नहीं | — | 789.94 | लागू नहीं | हाँ | दिल्ली प्रभाग | — | |
| | # | Nil | No | — | 789.94 | NA | Yes | Delhi Division | — | |
| विदेश मंत्रालय | # | नहीं | शून्य | लागू नहीं | 29900.12 | शून्य | हाँ | डीपीए-1, विदेश मंत्रालय | — | |
| MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS | # | No | Nil | NA | 29900.12 | Nil | Yes | DPA-I, MEA | — | |
| (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:— | | | | | | | | | | |
| (iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:— | | | | | | | | | | |
| इस्पात मंत्रालय | # | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | नहीं | हाँ | मंत्रालय में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रम का परियोजना अनुभाग | — | |
| MINISTRY OF STEEL | # | Nil | Nil | Nil | Nil | No | Yes | Project Section of the concerned PSU in the Ministry | — | |

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)...जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2016-17: -

| मंत्रालय/विभाग का नाम | सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है | क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां | गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि | वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे | स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे | क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं | सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे | अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे |
|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|--|
| Name of the Ministry/ Department | Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee | Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year | Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund | Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund | Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements | Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any | Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees | Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government | Other material details |
| | (क) (a) | | (ख) (b) | | (ग) (c) | (घ) (d) | (ङ) (e) | (च) (f) | (छ) (g) |
| | | | | | | | | | (करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees) |

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:—

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

—शून्य—
-Nil-

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-
(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

—शून्य—
-Nil-

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-
(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries: —

—शून्य—
-Nil-

- (viii) कोई अन्य :-
(viii) Any Other : —

—शून्य—
-Nil-

Blank

